

Annual Report
Fin. Year 2020-21

वार्षिक रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2020-21



Ujalaa Milk Producer Company Limited

REGISTERED OFFICE :

**First Floor, Plot No. 110,111- A, R.K.Puram, Near Kala Badal Samudayik
Bhawan, KOTA RAJASTHAN - 324010 (India)**

Email- info@ujalaamilk.com

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ सं
1. सूचना	1
2. बजट	7
3. पहली आम सभा के मिनट्स	8
4. निदेशकों की रिपोर्ट	16
5. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	25
6. वार्षिक लेखा विवरण	31
7. उपस्थिति पर्ची	52
8. प्रॉक्सी फॉर्म	53

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की दूसरी वार्षिक आम सभा का आयोजन दिनांक 30 सितंबर 2021 को होटल लीलाक, स्टेशन रोड़, कोटा, राजस्थान, 324002 दोपहर 12:00 बजे निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जायेगी।

1. 31 मार्च, 2021 को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अपनाना।

"संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2021 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों के साथ-साथ कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, एतद्द्वारा स्वीकृत और अंगीकृत किए जाते हैं।"

2. श्रीमती कविता (डीआईएन 08901499) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने के लिए जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।

"संकल्प किया कि श्रीमती कविता (डीआईएन 08901499) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त रही हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करती हैं, पुनर्नियुक्त किया जाता है जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

3. श्रीमती सीमा बाई (डीआईएन 08901498) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने के लिए जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।

"संकल्प किया कि श्रीमती सीमा बाई (डीआईएन 08901498) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त रही हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करती हैं, पुनर्नियुक्त किया जाता है जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।
5. सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक तय करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:-

"संकल्प किया गया कि, मैसर्स एस एन धवन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045), इस दूसरी वार्षिक आम सभा के समापन से छठी वार्षिक आम सभा के

समापन तक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे पारिश्रमिक पर जैसा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।”

6. कंपनी के अंतर्नियमों के लेखों में परिवर्तन पर विचार करना और अनुमोदन करना और विशेष संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 सहित (साथ में) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, यदि और हद तक लागू परिवर्तनों सहित या अन्यथा) और कंपनी के मेमोरैंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधानों सहित कोई भी वैधानिक संशोधन या फिर से लागू होना। और एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को निम्नलिखित तरीके से और हद तक बदला जा सकता है: -

अनुच्छेद 1.1 जहां कहीं भी कंपनी अधिनियम, 2013 में, यह प्रदान किया गया है कि कंपनी के पास कोई अधिकार, विशेषाधिकार या अधिकार होगा यदि उसके लेखों द्वारा ऐसा अधिकृत किया गया है, तो इस अनुच्छेद के आधार पर, कंपनी इसके द्वारा विशेष रूप से अधिकृत है इस तरह के विशेषाधिकार या अधिकार, जैसा कि अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई है, बिना किसी विशिष्ट प्रावधान के और या उस संबंध में अलग लेख यहां प्रदान किया गया है

अनुच्छेद 1.2:- तालिका एफ में निहित विनियम, अधिनियम की अनुसूची I में विनियम 45 से 47 को छोड़कर, कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 1.3 (i):- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378A (I) के तहत कंपनी एक प्रोड्यूसर कंपनी है।

अनुच्छेद 1.3 (ii): - एक निजी कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA में निर्दिष्ट के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान कंपनी पर लागू होंगे, और जैसे कि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जहां तक वे अधिनियम के भाग XXIA के प्रावधानों के विरोध में नहीं हैं।

अनुच्छेद 1.3 (iii): - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378C (5) के तहत कंपनी को एक निजी कंपनी माना जाता है और तदनुसार

- A. अपने शेयरों को इस तरह से और इसके बाद प्रदान की गई सीमा तक स्थानांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है; तथा
- B. कंपनी में किसी शेयर या डिबेंचर की सदस्यता के लिए जनता को किसी भी निमंत्रण को प्रतिबंधित करता है

अनुच्छेद 2.1.i:- 'अधिनियम' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 18) या किसी भी वैधानिक संशोधन या उस समय के लिए फिर से लागू होना है।

अनुच्छेद 2.1.vii:- 'कंपनी' का अर्थ है उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

अनुच्छेद 2.1.viii "विशेषज्ञ निदेशक" का अर्थ अधिनियम की धारा 378P में निर्दिष्ट निदेशक से है;

अनुच्छेद 2.1.ix:- "वित्तीय वर्ष" का अर्थ प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है जिसके संबंध में कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है।

अनुच्छेद 2.1.xiii:- 'पारस्परिक सहायता सिद्धांत का अर्थ है अधिनियम के अध्याय XXIA में निर्धारित सिद्धांत, और जैसा कि अनुच्छेद 3 में प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 6.8- कंपनी अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार अपने स्वयं के इक्विटी शेयर खरीद सकती है।

अनुच्छेद 7- इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

कोई सदस्य बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद अपने/अपने शेयरों का पूरा या कुछ हिस्सा किसी सदस्य को हस्तांतरित कर सकता है |

अनुच्छेद 9.17:- निदेशक बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थिति के लिए यात्रा और होटल खर्च सहित ऐसे शुल्क और भत्ते के हकदार हो सकते हैं, यदि कोई हो, जो अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित किया गया हो, जैसा कि हो सकता है बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए

अनुच्छेद 9.18 (ii) k: - अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार एक नामांकन समिति का गठन करने के लिए, सामान्य बैठक में अनुमोदित परिभाषित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए और जैसा कि इसमें प्रदान किया गया है ये लेख, और तदनुसार पात्र सदस्यों को इसके विचार के लिए बोर्ड को अनुशंसा करते हैं। बदले में बोर्ड, बोर्ड की बैठक में उचित विचार के बाद, वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड के पद के लिए सदस्यों की सिफारिश करेगा।

अनुच्छेद 11.6 (i)(c):- किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सदस्य न हो। प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त एक सदस्य ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या की ओर से कार्य करेगा जो तीन सौ से अधिक नहीं होंगे और कंपनी की शेयर पूंजी के कुल मिलाकर दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

अनुच्छेद 11.13:- सामान्य बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मर्दों को सामान्य माना जाएगा और अधिनियम की धारा 102 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 19.1:- बोर्ड सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सेफ कस्टडी प्रदान करेगा और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में निहित प्रावधानों के अधीन, सील को किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि इसके लिए पहले दिए गए प्राधिकरण द्वारा उस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत बोर्ड या बोर्ड की एक समिति द्वारा अधिकृत न हो तथा बोर्ड ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित कर सकता है जो कानून के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से हस्ताक्षर करेंगे तथा प्रत्येक उपकरण जिस पर उसकी उपस्थिति में मुहर लगाई जाएगी।"

अनुच्छेद 19.2:- इस खंड को लोपित किया जाएगा ।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो हो सकते हैं इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: कोटा

दिनांक: 10 सितंबर, 2021

दिनेश चौधरी

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

टिप्पणियाँ

1. कंपनी को अधिकारियों द्वारा जारी सभी COVID-19 संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसलिए, कंपनी के सदस्य जो व्यक्तिगत रूप से वार्षिक आम सभा (एजीएम) में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें एजीएम की निर्धारित तिथि से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को सूचित करना आवश्यक है ताकि सख्ती से करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की जा सके। सामाजिक दूरी के मानदंडों और अन्य सभी COVID-19 संबंधित प्रोटोकॉल आवश्यकताओं का पालन करें
2. वार्षिक आम सभा में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्य के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
3. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।

4. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (10:00 बजे से 16:00 बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति एजीएम में लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम के स्थान पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।

6. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्य से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपने सदस्य कोड का उल्लेख करें।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।

9. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

आइटम संख्या 2 एवं 3

नाम	व्यवसाय	शैक्षणिक योग्यता
कविता	पशुपालन और डेयरी	10 th
सीमा बाई	पशुपालन और डेयरी	10 th

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: कोटा

दिनांक: 10 सितंबर, 2021

दिनेश चौधरी

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

Ujalaa Milk Producer Company Limited

Revenue Budget

S. No.	Particulars	UoM	Proposed Budget FY 2021-22
(I)	Milk Procurement Qty	(KGPD)	25,500
(II)	Revenue from Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	4,532.03
(III)	Producer Price	(Rs. in Lakhs)	4,114.57
(IV)	Sahayak Margin	(Rs. in Lakhs)	111.32
(V)	Logistic Cost	(Rs. in Lakhs)	454.57
(VI)	Other Milk Procurement Cost	(Rs. in Lakhs)	199.85
(VII)	Fixed Cost	(Rs. in Lakhs)	941.01
(VIII)	Profit/(Loss) from Milk Operation befor Grant Support	(Rs. in Lakhs)	(1,289.29)
(IX)	Grant Support -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	1,645.85
(X)	Profit/(Loss) from Milk Operation after Grant Support	(Rs. in Lakhs)	356.55

Capex Budget

S. No.	Particulars	UoM	Proposed Budget FY 2021-22
A	Milk Operation		
1	DPMCU	(Rs. in Lakhs)	902.44
2	MPP Accessories/Furnitures	(Rs. in Lakhs)	105.57
3	Milk CANs	(Rs. in Lakhs)	289.38
4	MCC Lab (Equipment, Glassware & Chemicals)	(Rs. in Lakhs)	47.70
5	AMCU_MCC with RMRD s/w	(Rs. in Lakhs)	38.16
6	Cluster Office	(Rs. in Lakhs)	13.42
7	ICT	(Rs. in Lakhs)	127.13
8	3 Litre Cryo Container	(Rs. in Lakhs)	8.14
9	35 Litre Cryo Container	(Rs. in Lakhs)	18.32
10	55 Litre Transport Cryo Container	(Rs. in Lakhs)	7.63
11	Big Semen Storage Container	(Rs. in Lakhs)	3.56
12	Small Semen Storage Container	(Rs. in Lakhs)	2.97
13	Nitrozen Silo	(Rs. in Lakhs)	31.80
14	Head Office	(Rs. in Lakhs)	50.00
	Total	(Rs. in Lakhs)	1,646.22

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के पहली आम सभा के कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रति
स्थान : होटल लिलक, नियर नटराज अदलेब्स, स्टेशन मैन रोड, कोटा राजस्थान-324002
दिनांक: 23 दिसंबर, 2020 को दोपहर 12 बजे आयोजित |

उपस्थित:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. श्रीमती अंजू केवट | : अध्यक्ष और शेयरधारक |
| 2. श्रीमती शकुंतला कँवर | : निदेशक और शेयरधारक |
| 3. श्रीमती कविता | : निदेशक और शेयरधारक |
| 4. श्रीमती हेमलता मीणा | : निदेशक और शेयरधारक |
| 5. श्रीमती सीमा बाई | : निदेशक और शेयरधारक |
| 6. श्रीमती काली राठौर | : शेयरधारक |
| 7. श्रीमती पूजा शर्मा | : शेयरधारक |
| 8. श्रीमती सुगना बाई | : शेयरधारक |
| 9. श्रीमती फूल कँवर | : शेयरधारक |
| 10. श्रीमती हेम कुंवर | : शेयरधारक |
| 11. श्रीमती गायत्री बाई | : शेयरधारक |
| 12. श्रीमती उमा बाई | : शेयरधारक |

कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, 120 इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA (9) के प्रावधानों के अनुसार एक वैध कोरम है।

ए. श्रीमती अंजू केवट ने बैठक के लिए अध्यक्ष का पद संभाला और घोषणा की कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार कोरम मौजूद है। प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर और निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर एजीएम स्थल पर उपलब्ध था और निरीक्षण के लिए खुला था। इसके बाद सभा को आगे की कार्यवाही के लिए बढ़ाया गया |

बी. अध्यक्ष ने कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद सभा को आगे की कार्यवाही के लिए बढ़ाया गया |

सी. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से, सदस्यों को पहले से ही प्रसारित पहली वार्षिक आम सभा की सूचना को पढ़ा गया।

डी. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने भाषण में सदस्यों को उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के राजस्थान के कोटा जिले में गठन की पृष्ठभूमि और कारणों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी सेवाओं (एनडीडीबी डेयरी सर्विसेस) और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने शुरुआत में दूध खरीद प्रणाली

स्थापित करने और कंपनी की स्थापना और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए सक्रिय सहायता प्रदान करने के लिए पहल की थी।

सदस्यों को संबोधन समाप्त करने के बाद, अध्यक्ष ने बैठक को पहली एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने का निर्देश दिया।

साधारण व्यवसाय:

1. कंपनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर विचार करना और उसे अपनाना ।

श्रीमती पूजा शर्मा (फोलियो नंबर: 7) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या 1st AGM: 23.12.2020:1/2020-21

"संकल्प लिया गया कि मेमोरेण्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी रजिस्ट्रार, राजस्थान के पास पंजीकृत है और जिन्हें बैठक के समक्ष रखा गया है एतद्वारा अपनाया जाता है।"

श्रीमती सुगना बाई (फोलियो नंबर 9) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. श्रीमती अंजू केवट (डीआईएन 08901495), के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो कि पद रिक्त करती है, और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है।

चूंकि श्रीमती अंजू केवट का उक्त मामले में हित निहित है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्रीमती पूजा शर्मा को उक्त संकल्प के लिए बैठक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था ।

श्रीमती हेमलता मीणा (फोलियो नंबर: 4) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या 1st AGM: 23.12.2020:2/2020-21

"संकल्प लिया गया कि श्रीमती अंजू केवट (डीआईएन 08901495), कंपनी की प्रथम निदेशक, जो कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में अपना ऑफिस वेकेट करती है और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है, को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। "

श्रीमती फूल कुंवर (फोलियो नंबर 11) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती शकुंतला कुंवर (डीआईएन 08901496), के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो कि पद रिक्त करती है, और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है।

श्रीमती अंजू केवट (फोलियो नंबर: 1) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या **1st AGM: 23.12.2020:3/2020-21**

“संकल्प लिया गया कि श्रीमती शकुंतला कुंवर (डीआईएन 08901496), कंपनी की प्रथम निदेशक, जो कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में अपना ऑफिस वेकेट करती है और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है, को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। ”

श्रीमती काली राठौर (फोलियो नंबर 10) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती हेमलता मीणा (डीआईएन 08901497), के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो कि पद रिक्त करती है, और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है।

श्रीमती कविता (फोलियो नंबर: 5) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या **1st AGM: 23.12.2020: 4/2020-21**

“संकल्प लिया गया कि श्रीमती हेमलता मीणा (डीआईएन 08901497), कंपनी की प्रथम निदेशक, जो कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में अपना ऑफिस वेकेट करती है और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है, को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। ”

श्रीमती शकुंतला कुंवर (फोलियो नंबर 2) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्रीमती सीमा बाई (डीआईएन 08901498), के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो कि पद रिक्त करती है, और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है।

श्रीमती अंजू केवट (फोलियो नंबर: 1) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या **1st AGM: 23.12.2021: 5/2020-21**

“संकल्प लिया गया कि श्रीमती सीमा बाई (डीआईएन 08901498), कंपनी की प्रथम निदेशक, जो कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में अपना ऑफिस वेकेट करती है और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है, को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। ”

श्रीमती कविता (फोलियो नंबर 5) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. श्रीमती कविता (डीआईएन 08901499), के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो कि पद रिक्त करती है, और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है।

श्रीमती सीमा बाई (फोलियो नंबर: 3) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या **1st AGM: 23.12.2020:6/2020-21**

“संकल्प लिया गया कि श्रीमती कविता (डीआईएन 08901499), कंपनी की प्रथम निदेशक, जो कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में अपना ऑफिस वेकेट करती है और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है, को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। ”

श्रीमती काली राठौर (फोलियो नंबर 10) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. 1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए कंपनी के बजट अनुमानों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना।

श्रीमती पूजा शर्मा (फोलियो नं.: 07) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या पहली एजीएम: 23.12.2020:7/2020-21

"संकल्प किया गया कि 1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट अनुमान, जैसा कि वार्षिक आम बैठक के समक्ष रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती सुगना बाई (फोलियो नंबर: 09) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मानदंड पर विचार करना और अनुमोदन करना।

श्रीमती हेमलता मीणा (फोलियो नं.: 04) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या **1st AGM: 23.12.2020:8/2020-21**

"संकल्प किया गया है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.4 के संदर्भ में, सदस्यों को व्यापार में भागीदारी (यानी संरक्षण) के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मानदंड यहां निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया है। और इसके द्वारा अनुमोदित है और अपनाया जाता है:

क्रम	मानदण्ड	वर्ग-अ	वर्ग-ब	वर्ग-स
1	एक वर्ष में एमपीसी को आपूर्ति किए गए दूध के दिनों की संख्या	>= 270 दिन	>=270 दिन	>=200 दिन
2	एमपीसी को आपूर्ति की जाने वाली वार्षिक दूध की मात्रा (लीटर में)।	>=3000	>=1500	>=500
3	एक वित्तीय वर्ष के दौरान लीन महीनों (अर्थात् अप्रैल से जुलाई) के दौरान आपूर्ति की गई दूध की मात्रा की तुलना में फ्लश महीनों (अर्थात् नवंबर से फरवरी) के दौरान आपूर्ति की गई दूध की मात्रा;	3 गुना से अधिक नहीं	3 गुना से अधिक नहीं	3 गुना से अधिक नहीं
4	सब्सक्राइब किए गए एमपीसी शेयरों की न्यूनतम संख्या (अंश पूँजी में योगदान)।	30 शेयर (Rs 3000/-)	15 शेयर (Rs 1500/-)	5 शेयर (Rs 500/-)

नोट:-

क) वास्तविक शेयर अंशदान या आपूर्ति की गई वास्तविक दूध की मात्रा, जो भी कम हो, को वर्ग के वर्गीकरण पर पहुंचने के उद्देश्य से माना जाएगा।

बी) संरक्षण गणना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

i. जिन सदस्यों को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शामिल किया गया है और अभी तक अपनी सदस्यता के 365 दिन पूरे नहीं किए हैं, लेकिन उनके द्वारा चुने गए वर्ग के लिए न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी की सदस्यता ली है, उन्हें उस वर्ग से संबंधित माना जाएगा।

ii. कोई भी सदस्य जो वर्ग ए या वर्ग बी के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करेगा, वह उपयुक्त निचली वर्ग में जा सकता है जिसके लिए सदस्य मानदंडों को पूरा करता है। हालांकि, वे उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव के पात्र नहीं होंगे।

iii. जो सदस्य कम से कम 'वर्ग सी' बनाए रखने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 8 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 4.3 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, अगर बोर्ड उन्हें अपनी सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्यों को बिना किसी वर्ग के सदस्य माना जाएगा।"

श्रीमती सुलेखा देवी (फोलियो नंबर: 11) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. कंपनी के गठन के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेस द्वारा 98141 रुपये की प्रारंभिक खर्च की राशी पर विचार और अनुमोदन करने और उन्हें प्रतिपूर्ति के लिए ।

श्रीमती अंजू केवट (फोलियो नंबर: 01) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या 1st AGM: 23.12.2021:9/2020-21

"संकल्प किया गया कि प्रारंभिक खर्च रु. 98141/- (अट्ठानबे हजार एक सौ इकतालीस रुपये मात्र) की राशी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेस द्वारा कंपनी के निगमन के संबंध में प्रारंभिक व्यय के तौर पर की गयी राशी जैसा कि मीटिंग के समक्ष रखा गया है और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रारंभिक व्यय की प्रतिपूर्ति एनडीडीबी डेयरी सर्विसेस को की जाए।

श्रीमती काली राठौर (फोलियो नं.: 10) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. कंपनी के प्रथम लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उसे अपनाना।

श्रीमती कविता (फोलियो संख्या: 05) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या 1st AGM: 23.12.2020:10/2020-21

"संकल्प किया कि, मैसर्स एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045), इस पहली वार्षिक आम बैठक के समापन तक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में रुपये 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये मात्र) प्लस लागू कर और वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति के पारिश्रमिक पर कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक तक नियुक्त किए जाते हैं।

श्रीमती शकुंतला कंवर (फोलियो नंबर: 02) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

11. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उसे अपनाना:

श्रीमती सुगना बाई (फोलियो संख्या: 09) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या 1st AGM: 23.12.2020:11/2020-21

"संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 581H, 581ZQ, 581ZR और अन्य लागू प्रावधान, तथा यदि कोई हो, तो कंपनी अधिनियम, 1956 (किसी भी वैधानिक संशोधन के साथ या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान जहा तक लागू हो सके और कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधानों सहित और कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी दस लाख रुपये जो कि सौ रुपये वाले दस हजार इक्विटी शेयरों में विभाजित है को सौ रुपये वाले चार लाख नब्बे हजार अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करके सौ रुपये वाले पांच लाख शेयरों में विभाजित करके पांच करोड़ रुपये की जाती है।

आगे यह भी संकल्प किया गया है कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पुनर्संख्यंकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"VI. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रुपये 5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपये) है जो कि सौ रुपये वाले 5,00,000 (केवल पांच लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

आगे यह भी संकल्प किया गया है कि उक्त को प्रभावी रूप देने के लिए, मुख्य कार्यकारी को ऐसे सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को हल करने के लिए जो इस संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

श्रीमती पूजा शर्मा (फोलियो नं.:7) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

12. आम सभा में लेन-देन करने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

दिनांक:

अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए:-

निदेशकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन, एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 1 अक्टूबर 2020 को कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य में सदस्यों के दुग्ध का संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा इससे जुड़ी सभी प्रकार की प्रासंगिक गतिविधियों के लिए किया गया था।

वित्तीय परिणाम

सारांशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं:

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	(राशि रुपयों में)
कुल आय	59,65,709
सामग्री लागत सहित व्यय	59,15,756
लाभ/(हानि) कर पूर्व की अवधि के लिए	49,953
कराधान के लिए प्रावधान	7,793
कर पश्चात की अवधि के लिए लाभ/(हानि)	42,160
लाभांश	0
जीआर में स्थानांतरित लाभ	0

कम्पनी के परिचालन का विवरण -

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व 59,65,709/- रुपये था। पिछले वर्ष के कुल व्यय 59,15,756/- रुपये थे।

कर के बाद लाभ पिछले वर्ष में 42,160/- रुपये थे।

सीमित लाभांश

निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की।

सामान्य संचय में हस्तान्तरण

कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की सपठित धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने कुछ भी सामान्य संचय में क्रेडिट के लिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव नहीं दिया है।

परिचालन की समीक्षा

दुग्ध संकलन

कंपनी के दूध खरीद कार्यों को कोटा जिले के सांगोद ब्लॉक, बारां जिले के अंता ब्लॉक और झालावाड़ जिले के खानपुर ब्लॉक में शुरू किया गया था। कंपनी को 1 अक्टूबर 2020 को निगमित किया गया था और 20 मार्च 2021 को व्यापार परिचालन शुरू किया गया था। कंपनी ने 01 बीएमसी / एमसीसी स्थान के तहत 31 मार्च 2021 तक 53 एमपीपी स्थापित करके 53 गांवों को कवर किया था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने औसतन 1536 किलोग्राम प्रतिदिन के साथ कुल 18441 किलोग्राम कच्चे दूध की खरीद की है। वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी ने 731 सदस्यों को नामांकित किया था। कुल नामांकित सदस्यों में से, वर्ष के दौरान 449 सदस्यों ने दूध डाला है, इस प्रकार कंपनी के कामकाज में अपना विश्वास दिखाया है।

जहाँ तक खरीद मूल्यों का सम्बन्ध है, कम्पनी सदस्यों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दुग्ध के प्रति अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का भुगतान करती रही है। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों से दुग्ध संकलन की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक (परिवहन) नियंत्रण आदि के माध्यम से कार्यकुशलता में वृद्धि कर उत्पादकता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है।

गुणवत्ता हेतु पहल

उपयोग किये जा रहे दुग्ध शीतलन केंद्र (एमसीसी) और थोक दुग्ध शीतलक (बीएमसी) कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता को जांचने के लिए पूर्ण रूप से आधारभूत जांच सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं। एफएसएसआई के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार बीएमसी स्तर पर मिलावट की जांच और एंटीबायोटिक जांच की नई प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कम्पनी के परिचालन में गुणवत्ता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी सभी जुड़े उन सभी पक्षकारों को साफ-सफाई पर जोर देते हुए तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जो दुग्ध की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ-

कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ -

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए उनके घर पर ही गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान कर रही है, ताकि मवेशियों की प्रजाति में सुधार कर दुधारू

पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर कम्पनी के परिचालन क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

उत्पादक संस्था निर्माण-

पीआईबी बेहतर प्रशासन विधि और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के जरिए कारोबार को मजबूती प्रदान करता है। कम्पनी के कारोबार में सदस्यता और सदस्य भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं जिससे अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके।

पीआईबी गतिविधियाँ मुख्य रूप से अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन विधियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्य के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतियोगियों से प्रोड्यूसर कम्पनी को अलग करती हैं।

एमपीसी कोर डिजाइन सिद्धांत -

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है। व्यावसायिक गतिविधियों को केवल सदस्यों तक ही सीमित रखा गया है। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता की व्यवसाय एव ंप्रशासन विधि में भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान मैचिंग शेयर कैपिटल में अंशदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर विलेज कॉन्टैक्ट ग्रुप (वीसीजी) नाम के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया जायेगा जो सदस्यों और कम्पनी के बीच पारस्परिक संचार सुनिश्चित करने के लिए सामयिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्यों की शिकायतों का समाधान हो सके। कर्मचारियों की व्यवहार्यता और आत्म-निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यावसायिक परिचालन के कुशलतापूर्वक प्रबन्धन और उच्च श्रेणी के आर्थिक स्तर को हांसिल करने के लिए कर्मचारियों को शीघ्रतिशीघ्र व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम-

सदस्यों को डेयरी से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। सदस्यों, संभावित सदस्यों, बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान आयोजित किए गए प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार थे:

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नाम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
निदेशक कौशल निर्माण कार्यक्रम	01	04

ओ एंड एम (व्यक्ति) पर बीएमसी/एमसीसी स्टाफ का प्रशिक्षण	02	05
सहायक अभिविन्यास कार्यक्रम (व्यक्ति)	04	54
क्यूए अधिकारियों (व्यक्ति) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	02	03

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन :-

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धतायें नहीं हैं 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। नियामक एवं न्यायालय द्वारा ऐसे कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण एवं वस्तुगत आदेश पारित नहीं किये गये हैं भविष्य में कम्पनी के परिचालन को प्रभावित करते हो।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अंश पूंजी और सदस्यता:-

31 मार्च, 2021 तक, कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में 731 सदस्यों को शामिल करते हुए प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 83900 थी। इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार सदस्यों की कुल संख्या 1365 सदस्यों की है और प्रदत्त अंश पूंजी राशि रु 451800/- है।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति:-

कम्पनी के दूसरी वार्षिक आम सभा में सभी सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होगा।

निदेशक मण्डल-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिनेश चंद्र चौधरी को कम्पनी के मुख्य कार्यकारी और पदेन निदेशक के रूप में 28 दिसंबर 2020 से नियुक्त किया गया था।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती कविता और श्रीमती सीमा बाई आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होती हैं और योग्य होने के कारण उन्होंने अपने आपको पुर्ननियुक्ति के लिये प्रस्तुत करती हैं।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:-

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, निदेशकों को कम्पनी के व्यापार मॉडल और नेतृत्व में प्रशिक्षण के साथ-साथ उनकी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और उनकी क्षमता निर्माण के लिए जागरूकता के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

निदेशकों के दायित्व सम्बन्धी विवरण:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 के अनुसार, कम्पनी के निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं कि-

- क. वार्षिक लेखे तैयार करते समय कम्पनी द्वारा लागू होने वाले लेखा-मानकों का उचित अनुपालन किया गया है।
- ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरन्तर लागू रखा है तथा ऐसे निर्णय और अनुमानों का प्रयोग किया है जो तर्कसंगत और उपयुक्त हैं एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के कारोबार की उचित एवं सही स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सके।
- ग. कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक, पर्याप्त एवं उचित सावधानी रखी है।
- घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।
- ङ. सभी लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने उपयुक्त पद्धति विकसित की है और ये पद्धतियाँ उपयुक्त एवं प्रभावी रूप से कार्यशील हैं।

अंकेक्षक-

मैसर्स एस एन धवन एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल दूसरी वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा अपनी योग्यता की पुष्टि होने अगर पुनर्नियुक्ति किया जाता है तो इसकी स्वीकृति प्रदान की है।

निदेशक मण्डल एस एन धवन एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा अंकेक्षण-

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कम्पनी के आंतरिक अंकेक्षण नियमित तौर पर एक बाह्य कम्पनी मैसर्स रे एण्ड रे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के द्वारा किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षक कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कम्पनी का अंकेक्षण करते हैं।

मानव संसाधन-

कर्मचारी कम्पनी की संपत्ति हैं और कम्पनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कम्पनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कम्पनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की

पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी-

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करती हैं एवं कार्य-प्रणाली को सुव्यवस्थित व ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य परिचालन की दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना है। हमारी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

कर्मचारियों का विवरण-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

सुरक्षा और स्वास्थ्य: -

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से भौतिक रूप से दूध को संभालने वाले। कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा जांच और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 सपठित कम्पनीज् नियम (लेखांकन), 2014 के अनुसार विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

क. कम्पनी नियमों के भाग अ तथा ब ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर वर्तमान में लागू नहीं होते हैं।

ख. विदेशी विनिमय आय तथा निकासी: आय - शून्य, निकासी - शून्य

बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की चार (4) बैठकें विधिवत रूप से दिनांक 22.10.2020, 08.12.2020, 02.02.2021 एवं 20.03.2021 को आयोजित की गईं।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण -

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी प्रकार का ऋण, गारंटी या विनियोग नहीं दिया है।

सम्बन्धित पक्षकारों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण-

सम्बन्धित पक्षकारों के साथ सभी अनुबंध या व्यवहार परस्पर समान आधारों पर किये गये हैं। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स में दिखाई देता है।

केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी को छोड़कर शेष जो धारा 143 की उपधारा (12) के अनुसार लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत वैधानिक लेखा-परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ियों को छोड़कर कोई भी धोखाधड़ी की रिपोर्ट कम्पनी को नहीं दी गई है।

जोखिम प्रबन्धन नीति-

मेसर्स रे एण्ड रे, आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आंकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और चर्चा की जाती है।

हमारी कम्पनी की ऐसी किसी भी जोखिम को चिन्हित करने व समाप्त करने के लिए जोखिम प्रबन्धन नीति बनी हुई है जो कम्पनी के अस्तित्व के लिए चुनौती बन सकती है।

जमा-

अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमा से सम्बन्धित विवरण के सम्बन्ध में किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई राशि जमा नहीं हुई।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण-

कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कम्पनी के पास उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ विद्यमान हैं।

लागत अंकेक्षण एवं रिकॉर्ड्स

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी पर लागत अंकेक्षण एवं लागत के रिकॉर्ड्स रखने का प्रावधान लागू नहीं होता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण का प्रकटीकरण (रोकथाम, प्रतिबंध एवं निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण का प्रकटीकरण (रोकथाम, प्रतिबंध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 एवं इसके अंतर्गत दिये गये नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कम्पनी ने आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है और कम्पनी सुरक्षित कार्यस्थल नीति को कार्यान्वित किया है। वित्तीय 2020-21 के दौरान कम्पनी को इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कोर्पोरेट का सामाजिक दायित्व:-

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कम्पनी पर कंपनियों के सामाजिक दायित्व के प्रावधानों लागू नहीं होते हैं।

सतर्कता प्रणाली

कम्पनी पर सतर्कता प्रणाली के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर कंपनी के विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई भी आवेदन या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।

आभार-

निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा किये गए योगदान एवं नियमित सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निदेशक मण्डल राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के द्वारा प्रदान किये गए सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल कम्पनी के सभी कर्मचारियों, कम्पनी से सम्बन्धित लोगों के सहयोग, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहना करता है, जिनके प्रयासों के बिना कम्पनी की सर्वांगीण विकास एवं प्रगति सम्भव नहीं हो सकती।

वास्ते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दिनांक - 10 सितंबर, 2021

स्थान:- कोटा

अध्यक्षा

डीआईएन-08901495

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की ऑडिट पर रिपोर्ट

राय

हमने उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, और वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल हैं। और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप, जैसा कि संशोधित है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और उसका नकदी प्रवाह

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वो को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षको के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गए प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं

अन्य सूचना

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं अंकेक्षको की रिपोर्ट शामिल नहीं है

- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

- वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्यकथान प्रकट होती है |

- यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक रूप से मिथ्यकथान है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्यवाही भी की जाये |

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित विषय एवं कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में मैं बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। इसमें कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन और उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना भी शामिल है जो वित्तीय विवरण तैयार करने एवं उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा उसे बनाये रखना है जिससे कंपनी के वित्तीय लेखे कंपनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करे तथा जो धोखेवाजी तथा त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हो |

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का निर्णय नहीं ले, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय शामिल है। जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण ऑडिट के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण भौतिक मिथ्यकथन के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक मिथ्यकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्यकथन, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है लेकिन इकाई के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त नहीं है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगति और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी को जारी रखने में रुकावट उत्पन्न कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की सम्पूर्ण प्रस्तुति, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति देते हो |

हम शासन के प्रभारी लोगों के साथ उन लोगो के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के सम्बन्ध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ पालन किया है जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम अनुबंध 1 में देते हैं। आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, जहां तक लागू हो।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(बी) हमारी राय में, कंपनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित रूप से बना रखे हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(सी) इस रिपोर्ट में वर्णित कंपनी का चिट्ठा, लाभ और हानि का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी के लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

(डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ई) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) के आधार पर किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया जाता है।

(च) इस रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 143 ('आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट') की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट शामिल नहीं है, क्योंकि हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर उक्त रिपोर्ट कंपनी के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 583(ई) दिनांक 13 जून 2017, शुद्धिपत्र दिनांक 13 जुलाई 2017 के साथ पठित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्टिंग के तहत कंपनी को उपलब्ध छूट के आधार पर लागू नहीं है।

(छ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378C की उपधारा (5) के अनुसार, यह कंपनी के भाग XXIA के तहत पंजीकृत एक निर्माता कंपनी है तथा अधिनियम 2013के प्रावधानों के अनुसार एक निजी कंपनी माना जाता है, तदनुसार कंपनी एक निजी कंपनी होने के कारण कंपनी पर प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम:

i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 25(A) देखें

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ था- वित्तीय विवरणों के लिए नोट 25 (d) देखें;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी- वित्तीय विवरणों के लिए नोट 25(B) देखें।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA की धारा 378ZG के अनुसार, हम 'अनुलग्नक बी' में उस खंड में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

कृते एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

UDIN:

स्थान:

दिनांक:

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 के तहत संदर्भित:-

(i) वित्तीय विवरणों में नोट 13 में माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋण की राशि का खुलासा किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी ऋण को वसूली के रूप में संदिग्ध नहीं माना जाता है।

(ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के अंत में कंपनी के पास कोई नकदी नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी प्रतिभूतियों को धारण और निवेश नहीं करती है।

(iii) 31 मार्च, 2021 को संपत्ति और दायित्वों का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

कृते एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

UDIN:

स्थान:

दिनांक:

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH, 2021

	Note No.	As at 31 March, 2021 Rupees
A. EQUITY AND LIABILITIES		
1 Shareholders' funds		
a. Equity share capital	3	83,900
b. Reserves and surplus	4	42,160
		126,060
2 Deferred grant	5	7,938,248
3 Non - current liabilities		
a. Long - term provisions	6	46,845
		46,845
4 Current liabilities		
a. Trade payables		
- Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-
- Outstanding dues of other than micro enterprises and small enterprises	7	2,658,117
b. Unutilised grant	8	28,646,590
c. Other current liabilities	9	7,572,578
d. Short - term provisions	6	13,631
		38,890,916
Total		47,002,069
B. ASSETS		
1 Non - current assets		
a. Fixed assets		
- Property, plant and equipment	10.1	6,112,302
- Intangible assets	10.2	505,247
- Capital work-in-progress		1,320,699
b. Long-term loans and advances	11	2,200
		7,940,448
2 Current assets		
a. Inventories	12	216,436
b. Trade receivables	13	566,929
c. Cash and cash equivalents	14	38,016,566
d. Short term loans and advances	15	259,046
e. Other current assets	16	2,644
		39,061,621
Total		47,002,069

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

For S. N. Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000050N/N500045

For and on behalf of the Board of Directors
Ujalaa Milk Producer Company Limited

Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

Anju Kewat Director DIN:08901495	Shakuntla Kanvar Director DIN:08901496
---	---

Dinesh Chandra Choudhary
Director
DIN:09011551

Place: Kota
Date: 10-09-2021

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH, 2021

	Note No.	For the period from 1 October,2020 to 31 March,2021
		Rupees
1. Revenue from operations	17	682,674
2. Other income	18	5,283,035
3. Total revenue (1+2)		5,965,709
4. EXPENSES		
a. Purchase of stock-in-trade	19	824,026
b. Procurement expenses	20	599,395
c. Changes in inventories of finished goods	21	(216,436)
d. Employee benefits expense	22	1,574,551
e. Depreciation and amortisation expenses	23	-
f. Other expenses	24	3,134,220
Total expenses		5,915,756
5. Profit before tax (3-4)		49,953
6. Tax expense:		
(a) Current tax		7,793
(b) Deferred tax (credit)		-
Net tax expense		7,793
7. Profit for the period (5-6)		42,160
8. Earnings per equity share:	28	
(Nominal value Rs. 100 per share)		
(a) Basic		306.35
(b) Diluted		306.35

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

For S. N. Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000050N/N500045

For and on behalf of the Board of Directors
Ujalaa Milk Producer Company Limited

Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

Anju Kewat
Director
DIN:08901495

Shakuntla Kanvar
Director
DIN:08901496

Dinesh Chandra Choudhary
Director
DIN:09011551

Place: Kota
Date: 10-09-2021

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH, 2021

	<u>Period ended</u> <u>31 March, 2021</u> Rupees
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:	
Profit / (loss) before tax	49,953
Adjustments For :	
Interest Income	-
Operating profit / (loss) before working capital changes	<u>49,953</u>
Adjustments for movement in working capital:	
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:	
Trade payables	2,658,117
Long-term provisions	46,845
Short term provisions	5,838
Other current liabilities	875,411
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:	
Inventories	(216,436)
Trade receivables	(566,929)
Long-term loans and advances	(2,200)
Short-term loans and advances	(259,046)
Cash from operations	<u>2,591,553</u>
Income tax paid (net)	-
Net cash flow from operating activities (A)	<u>2,591,553</u>
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:	
Purchase of property, plant and equipment	(1,286,702)
Interest Income	(2,644)
Net cash flow (used in) investing activities (B)	<u>(1,289,346)</u>
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:	
Proceeds from issue of equity share capital	83,900
Grant received	41,883,000
Interest earned on grant	2,644
Grant utilised for revenue expenditure	(5,255,185)
Net cash flow from/(used in) financing activities (C)	<u>36,714,359</u>
Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	38,016,566
Cash and cash equivalents at beginning of the period	-
Cash and cash equivalents at the end of the period	<u><u>38,016,566</u></u>
Cash and cash equivalents comprises:	
Balances with banks:	
in current accounts	8,016,566
In fixed deposits account (original maturity of less than 3 months)	30,000,000
Cash and cash equivalents as per cash flow statement	<u><u>38,016,566</u></u>

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

For S. N. Dhawan & CO LLP

Chartered Accountants

Firm's Registration No. 000050N/N500045

Vinesh Jain

Partner

Membership No. 087701

For and on behalf of the Board of Directors
Ujalaa Milk Producer Company Limited

Anju Kewat

Director

DIN:08901495

Shakuntla Kanvar

Director

DIN:08901496

Dinesh Chandra Choudhary

Director

DIN:09011551

Place: Kota

Date: 10-09-2021

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

1 Corporate Information

Ujalaa Milk Producer Company Limited ('the Company') was incorporated on 1 October 2020, under Part IXA of the Companies Act, 1956 with the main object to carry on the business of pooling, purchasing, processing of milk and milk products primarily of the members, to provide technical and managerial services in the area of breeding, feed/fodder, veterinary services to increase milk production for the benefit of the members and to deal in activities that are part of or incidental to any activity related thereto.

The Company procures milk directly from milk producers through Milk Pooling Points (MPP) in villages of District Kota , Baran and Jhalawar and sells to dairies. The Company also trades in Cattle Feed.

2 Significant accounting policies

2.1 Basis of accounting

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the New Act").

The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention.

All the assets and liabilities have been classified as current or non current as per the company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the Company and their realization in cash and cash equivalent, the Company has ascertained its operating cycle to be 12 month for the purpose of current- non current classification of assets and liabilities.

2.2 Use of estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialise.

2.3 Cash flow statement

Cash Flow Statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed in Accounting Standard (AS) 3 on 'Cash Flow Statement', whereby profit/(loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments.

The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of cash flow statement, cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term balances (with an original maturity of three month or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.4 Revenue Recognition

Sales are recognized net of returns and trade discounts, on transfer of significant risk and rewards of ownership to the buyers, which generally coincides with the delivery of goods to customers.

2.5 Other Income

Interest Income on deposits and admission fees from members are recognized on accrual basis.

2.6 Property, Plant and Equipment and Intangibles

Property, plant and equipment and intangible assets are carried at cost less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses, if any. The cost of property, plant and equipment and intangible assets comprises their purchase price net of any trade discounts and rebates, other taxes (others than those subsequently recoverable from the tax authorities), any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying property, plant and equipment up to the date asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on property, plant and equipment after its purchase is capitalized only if such expenditure results in an increase in future benefits from such asset beyond its previous assessed standard of performance.

Capital work-in-progress:

Projects under which tangible fixed assets are not yet ready for their intended use are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable interest.

2.7 Depreciation and amortization

Depreciation on property, plant & equipment and intangible assets has been provided on straight line method as per the useful life of the assets, taking into account the nature of the asset, the estimated useful life of assets as estimated by the management, the operating condition of the asset, past history of replacements, anticipated technological changes, manufactured warranties and maintenance support etc. as under:

Description	Useful life
Plant and machinery	1 to 10 Years
Computer	3 Years
Furniture and fixtures	1 & 10 Years
Office equipment's	1 & 5 Years
Intangible assets(softwares)	3 Years

Note:

Based on technical evaluation, the management believes that the useful lives as given above best represent the period over which the Management expects to use these assets. Hence, the useful lives for these assets is different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

2.8 Inventories

Inventories comprises of trading good (milk). Inventories are valued at lower of cost and net realizable value after providing for obsolescence and other losses, wherever considered necessary. Cost is determined using First In First Out (FIFO) method. Cost includes all charges incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Small tools, chemicals, stores and spares and consumables are charged to consumption as and when purchased.

2.9 Grants

Grants and subsidies are recognized when there is reasonable assurance that the company will comply with the conditions attached to them and the grants/subsidies will be received. Grants related to depreciable Property, Plant & Equipment are treated as deferred grants which is recognised in the statement of profit and loss on a systematic and rational basis over the useful life of the asset i.e. depreciation charge on assets procured from such grants is appropriated from Deferred Grant and recognized in the statement of profit and loss by way of reduced depreciation charge.

Revenue government grants and subsidies are recognized as income over the periods necessary to match them with costs for which they are intended to compensate on a systematic basis.

2.10 Employee Benefits

Employee benefits includes Provident Fund, Gratuity and Leave Encashment.

i. Defined Contribution Plans :

The Company's contributions to provident fund is considered as defined contribution plan and are charged to the Statement of Profit and Loss based on the amount of contributions required to be made as and when services are rendered by the employees.

ii. Defined Benefit Plans :

The Company's gratuity and leave encashment are considered as defined benefit plan. The present value of the obligation under such defined benefit plan is determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognises each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation is measured at the present value of the estimated future cash flows. The discount rate used for determining the present value of the obligation under defined benefit plans, is based on the market yields on government securities as at the balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

iii. Short-term employee benefits :

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange of services rendered by employees is recognised during the year when the employees render the service. These benefits include salaries, wages, bonus and performance incentives which are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service.

The cost of short term compensated absences is accounted as under:

- a. in case of accumulated compensated absences, when employees render the services that increase their entitlement of compensated absences; and
- b. in case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

iv. Long-term employee benefits :

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the Balance Sheet date less the fair value of the plan assets, if any out of which the obligations are expected to be settled.

2.11 Segment reporting

The Company identifies primary segments based on the dominant source, nature of risks and returns and the internal organisation and management structure. The operating segments are the segments for which separate financial information is available and for which operating profit / loss amounts are evaluated regularly by the executive Management in deciding how to allocate resources and in assessing performance.

2.12 Earning Per Share:

The Company reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard, AS - 20, Earnings Per Share. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year except where the result would be anti-dilutive.

Taxes on income

2.13

Income Tax expense comprises current tax and deferred tax. Current tax liability is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the applicable tax rates and provisions of Income Tax Act, 1961, considering deduction available under section 80 PA of Income Tax Act, 1961 and other applicable tax laws.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is highly probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

Deferred tax is recognised on timing differences, being the differences between the taxable income and the accounting income, which originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax is measured using the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted as at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for timing differences. Deferred tax assets are recognised for timing differences of items other than unabsorbed depreciation and carry forward losses only to the extent that reasonable certainty exists that sufficient future taxable income will be available against them. However, if there are unabsorbed depreciation and carry forward losses and items relating to capital losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that there will be sufficient taxable income available to realise the assets. Deferred tax assets and liabilities are offset if items relate to taxes on income levied by the same governing tax laws and the Company has a legally enforceable right for such set off. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date for their realisability.

Impairment of Asset

2.14

The carrying values of assets / cash generating units at each balance sheet date are reviewed for impairment if any indication of impairment exists.

If the carrying amount of the assets exceeds the estimated recoverable amount, impairment is recognised for such excess amount. Impairment loss is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss, unless the asset is carried at revalued amount, in which case any impairment loss of the revalued asset is treated as a revaluation decrease to the extent a revaluation is available for that asset.

The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

When there is indication that an impairment loss recognised for an asset (other than a revalued asset) in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss to the extent the amount was previously charged to the Statement of Profit and Loss. In case of revalued assets such reversal is not recognised.

Leases

2.16

Where the Company as a lessor leases assets under finance leases, such amounts are recognised as receivables at an amount equal to the net investment in the lease and the finance income is recognised based on a constant rate of return on the outstanding net investment.

Assets leased by the Company in its capacity as lessee where substantially all the risks and rewards of ownership vest in the Company are classified as finance leases. Such leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value and the present value of the minimum lease payments and a liability is created for an equivalent amount. Each lease rental is allocated between the liability and the interest cost so as to obtain a constant periodic rate of interest on the outstanding liability each year.

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

Operating cycle

2.17

Based on the nature of products/ activities of the company and the normal time between acquisition of assets and their realisation into cash or cash equivalents, the company has determined its operating cycle as 12 months for the purpose of classification of assets and liabilities as current and non-current.

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

3 Equity share capital

As at 31 March, 2021

	Number of shares	Amount Rupees
a. Authorised share capital		
Equity Shares of Rs. 100 each	500,000	50,000,000
b. Issued, subscribed and fully paid up share capital		
Equity Shares of Rs. 100 each	839	83,900

See notes (i) to (v) below

Notes:

- i. The Company has only one class of shares referred to as Equity Shares having a par value of Rs.100/- per share. Every member shall have a single vote, provided that the member has poured milk for at least 200 days totalling to at least 500 liters in a year. However at the first two Annual General Meeting of the Company, all member shall have a single vote each.
- ii. Members are entitled to limited returns (dividend) and bonus in accordance with Articles of Association of the Company.
- iii. Reconciliation of number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the period:

	Period ended 31 March, 2021	
	Number of shares	Amount Rupees
Balance outstanding at the beginning of the period	-	-
Shares issued during the period	839	83,900
Balance outstanding at the end of the period	839	83,900

- iv. The Company is registered under part XXI-A of the Companies Act, 2013 as 'Producer Company' and none of the member holds 5% or more of the share capital of the Company.
- v. As per Articles of Association of the Company, if board is satisfied that any member has failed to retain the qualification as a member, the board shall direct the member to surrender her shares to the Company at par value or such other value as determined by the Board. Surrendered equity share shall be deemed to be the property of the Company and may be sold to members or otherwise cancelled as the Board thinks fit.

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31 March, 2021 <u>Rupees</u>
4 Reserves and surplus	
a. Surplus/(Deficit) in Statement of Profit and Loss	
Opening balance	-
Add: Profit /(Loss) for the period	42,160
Closing balance	<u>42,160</u>
	<u>-</u>
5 Deferred grant	
Balance at the beginning of the period	-
Capital grant utilised during the period (see note 8)	7,983,869
	<u>7,983,869</u>
Less: Depreciation pertaining to assets acquired from grant	45,621
	<u>7,938,248</u>
Note:	
i. The grant received has been recognised as liability till the utilisation of the grant.	
6 Provisions	
a. Long term provisions	
i. Provision for compensated absence	46,845
	<u>46,845</u>
a. Short term provisions	
i. Provision for compensated absence	5,838
ii. Provision for income tax	7,793
	<u>13,631</u>
7 Trade payable	
a. Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (see note 'i' below)	-
b. Outstanding dues of other than micro enterprises and small enterprises	2,658,117
	<u>2,658,117</u>

**As at 31 March,
2021**

Rupees

Note

- i. The disclosure of the amount outstanding to micro enterprises and small enterprises are as follows:

Amount payable to suppliers under MSMED (suppliers)
as on 31 March

- Principal

-

- Interest

-

Payments made to supplier beyond the appointed day during the period

- Principal

-

- Interest

-

Amount of interest due and payable for delay in payment (which have been paid beyond the appointed day during the period) but without adding interest under MSMED.

-

Amount of interest accrued and remaining unpaid as on 31 March

-

Amount of interest remaining due and payable to suppliers disallowable as deductible expenditure under Income Tax Act, 1961.

-

8 Unutilised grant

- a. Unutilised grant for operating/capital expenditure

28,646,590

(see note 'i' below)

-

i. Grant for operating/capital expenditure

Opening balance

-Unspent grant

-

-

Increase in grant liability / decrease in grant recoverable for

Grant received during the period

41,883,000

Interest income on grant (see note 17)

2,644

41,885,644

Utilisation of Grant

Utilised for revenue expenditure (see note 17)

5,255,185

Utilised for capital expenditure (see note 5)

7,983,869

13,239,054

Closing balance of Unutilised Grant

28,646,590

ii. Terms of Grant:

- a. Total sanctioned amount of grant is Rs. 38,73,45,000/ -

- b. Term of grant is initially for a period of three years, commencing from 1 October, 2020 to 31 March, 2023. The funding shall be extended for activities.

c. **Purpose of the grant:**

The objective is to develop dairy value chain in districts of Kota , Baran and Jhalawar by organizing milk producer to form one member owned Milk producer company (MPC) .

d. **Repayment of grant**

Any funds lying unutilized including accrued / actual interest post expiry of the grant period shall be returned/ repaid to Rajasthan Grameen Ajeevika Vikas Parishad (RAJEEVIKA) within one month from the agreed date of closure by a prescribed mode notified at the time by officials of RAJEEVIKA.

iii. **Grant utilisation**

a. Grant for capital expenditure

The grant utilised for capital expenditure has been recorded as deferred grant (see note 5) which subsequently adjusted with the amortisation expenses of property plant and equipment acquired from the grant on systematic basis.

b. Grant for operating expenditure

The grant received for the specific expenditure has been recognised as liability till the utilisation of the grant, when the expenditure incurred the Company recognised corresponding income under 'Other income'.

iv. There are no unfulfilled conditions or contingencies attached to these grants which management expect not to fulfil.

v. The Details of grant received(net) till 31 March, 2021 are as follows:

Particulars	Amount
	Rupees
Financial Year in which Grant is received: -2020-21	41,883,000
Total grant received till 31 March, 2021	41,883,000
	As at 31 March, 2021
	Rupees
9 Other current liabilities	
a. Statutory dues (Withholding taxes etc.)	35,411
b. Payable for fixed assets	6,697,167
c. Security/ trade deposits	840,000
	7,572,578

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

10.1 Property, plant and equipment

	Furniture and fixture	Plant and machinery	Computers	Office equipment	Total
	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
Gross cost					
Opening balance	-	-	-	-	
Additions	213,350	4,837,260	1,028,823	62,260	6,141,693
Disposals	-	-	-	-	-
Balance as at 31 March, 2021	213,350	4,837,260	1,028,823	62,260	6,141,693
Accumulated depreciation					
Opening	-	-	-	-	-
Additions	493	13,769	14,947	182	29,391
Disposals	-	-	-	-	-
Balance as at 31 March, 2021	493	13,769	14,947	182	29,391
Net carrying amount					
Balance as at 31 March, 2021	212,857	4,823,491	1,013,876	62,078	6,112,302

Note:

- i. Property plant and equipment is funded by grant (see note 8).

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

10.2 Intangible assets

	Softwares	Total
	Rupees	Rupees
Gross cost		
Opening balance	-	-
Additions	521,477	521,477
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2021	521,477	521,477
Accumulated depreciation		
Opening	-	-
Additions	16,230	16,230
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2021	16,230	16,230
Net carrying amount		
Balance as at 31 March, 2021	505,247	505,247

Note:

- i. Intangible assets is funded by grant (see note 8).

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31 March, 2021
11 Long term loans and advances	
unsecured considered good (unless otherwise stated)	
a. Security deposits	2,200
	2,200
12 Inventories	
a. Stock in trade	
- Raw bulk milk	113,926
- Cattle feed	102,510
	216,436
	216,436
13 Trade receivables	
(Unsecured and considered good)	
a. Trade receivable outstanding for a more than six months from the date they are due for payment	-
b. Trade receivable outstanding for a period less than six months from the date they are due for payment	566,929
	566,929
14 Cash and bank balances	
a. Balance with banks:	
i. In current accounts	8,016,566
ii. In fixed deposits account (original maturity of less than 3 months)	30,000,000
	38,016,566
Cash and cash equivalents as per AS 3 - Cash (A)	38,016,566
Total Cash and bank balances	38,016,566
15 Short term loans and advances	
(Unsecured, considered good)	
a. Prepaid expenses	259,046
	259,046
16 Other current assets	
a. Interest accrued on fixed deposits	2,644
	2,644

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	For the period from 1 October,2020 to 31 March,2021
	Rupees
17 Revenue from operations	
a. Sale of products (see note 'i' below)	682,674
	682,674
Note:	
Sale of products comprises:	
i. Traded goods	
a. Raw Milk	682,674
Total	682,674
	682,674
18 Other Income	
a. Revenue recognised from grant utilisation	5,255,185
b. Interest income	
- On fixed deposits (see Note 'i' below)	-
c. Admission fee from members	27,850
	5,283,035
Note:	
i. Interest income	
Interest income on fixed deposits	2,644
Less: Amount transferred to un-utilized grant (see note 8)	(2,644)
Interest income recorded in other income	-
19 Purchases of traded goods	
a. Purchases of raw bulk milk	721,516
b. Purchases of cattle feed	102,510
	824,026
20 Procurement Expense	
a. Freight inward	98,998
b. Sahayak incentive	23,000
c. Chemical and consumables	477,397
	599,395

21	Changes in inventories of finished goods and stock in trade	
	a. Inventories at the beginning of the period	
	Stock in trade	-
	b. Inventories at the end of the period	
	Stock in trade	216,436
	Net decrease/ (increase) in inventories	<u>(216,436)</u>
22	Employee benefits expense	
	a. Salaries and wages	1,523,900
	b. Gratuity expenses	-
	c. Staff welfare expenses	50,651
		<u>1,574,551</u>
23	Depreciation and amortization expenses	
	a. Depreciation on property, plant and equipment	29,391
	b. Amortisation on intangible assets	16,230
		<u>45,621</u>
	Depreciation pertaining to assets acquired on grant (see note 5)	<u>(45,621)</u>
		<u>-</u>
24	Other expenses	
	a. Rent	60,375
	b. Contractual manpower charges	601,900
	c. Power and fuel expenses	4,991
	d. Milk chilling expenses	15,000
	e. Travelling and conveyance	478,270
	f. Meeting and training expenses	50,670
	g. Repair and maintenance others	7,582
	h. Legal and professional fees	78,049
	i Auditor's remuneration (refer note (i) below)	41,300
	k. Printing and stationery	29,064
	k. Communication expenses	11,641
	l. Preliminary expenses	690,500
	m. Business promotion	171,271
	n. Rate and taxes	675,065
	o. Recruitment expenses	206,612
	p. Miscellaneous expenses	11,930
		<u>3,134,220</u>
	Note:	
	i. Auditors' remuneration comprises: (including Goods and services tax)	
	a. Statutory audit fee	41,300
		<u>41,300</u>

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

25 Commitment and contingencies

- a. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position in its financial statements. Contingent liabilities Rs. Nil.
- b. There were no amount which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- c. The estimated amount of contracts remaining to be executed on capital amount and not provided for (net of advances) amount to Rs. Nil.
- d. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

26 Employee benefit plans

Defined-benefits plans

The Company offers its employees defined-benefit plan in the form of a gratuity scheme (a lump sum amount). Benefits under the defined benefit plan is based on years of service and the employee's compensation (immediately before separation). The gratuity scheme covers all regular employees. Actuarial valuation is done based on "Projected Unit Credit" method. Gains and losses of changed actuarial assumptions are charged to the Statement of Profit and Loss.

The following tables sets out the status of the defined benefit scheme in respect of Gratuity and amount recognised in the financial statements.

i. Changes in Present Value of Benefit Obligation

	As at 31 March, 2021
	Rupees
Present Value of Benefit Obligation at beginning of the period	-
Current Service Cost	-
Interest Cost	-
Benefit Paid	-
Actuarial Losses (Gains)	-
Present value of obligations at the end of the period	-

Note: Present value of defined benefit obligation is nil as past service is nil as on 31 March 2021.

ii. Fair value of Plan Assets

	As at 31 March, 2021
	Rupees
Fair value of plan assets at the end of the period	-
	-

The scheme is unfunded, hence plan assets are Nil.

iii. Amount recognised in the Balance Sheet

	As at 31 March, 2021
	Rupees
Present Value of Benefit Obligation at end of the period	-
Fair Value of Plan Assets at end of the period	-
Net Liability recognized in Balance Sheet	-

	For the period ended 31 March, 2021
	Rupees
iv. Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss	
Current Service cost	-
Interest cost	-
Expected Return on Plan Assets	-
Net actuarial losses (gains) recognized in the period	-
Expenses recognized in Statement of Profit and Loss	<u>-</u>

	As at 31 March, 2021
	Rupees
v. Balance Sheet reconciliation	
Net liability at the beginning of the period	-
Expenses as above	-
Payments	-
Net liability/(asset) at the end of the period	<u><u>-</u></u>

	As at 31 March, 2021
vi. Principal actuarial assumptions	
Discount rate	7.05%
Expected salary escalations	NA
Attrition rate	NA
Expected return on plan assets	NA
Mortality table used	IALM 2012-14 Ultimate

The discount rate is based on prevailing market yields of Government of India securities as at the balance sheet date for the estimated term of obligation.

The estimates of future salary increases considered, takes into account the inflation, seniority, promotions, increments and other relevant factors.

	As at 31 March, 2021
vii. Liabilities at period end	
Non current	-
Current	<u>-</u>

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

27 Lease Commitments

Operating Lease - As lessee

The lease rentals charged during the period for cancellable/non-cancellable leases relating to rent of building premises as per the agreements and maximum obligation on long-term non-cancellable operating leases are as follows:

	Period ended 31 March, 2021
	Rupees
Lease rentals	60,375
Obligations on Non-cancellable leases :-	
	As at March 31, 2021
	Rupees
Payable not later than one year	780,000
Payable later than one year but not later than five years	3,361,126
Payable later than five years	-
	4,141,126

28 Earnings Per Equity Share

	Unit	Period ended 31 March, 2021
Net profit after tax	Rs.	42,160
Weighted average number of equity shares outstanding		
during the period	Numbers	138
Nominal value per Equity Shares	Rupees	100
Basic/Diluted earnings per share	Rupees	306.35

29 Disclosures as required by the Accounting Standard (AS) 18 – “Related Party Disclosures” are as below:

A. Name of the related parties and nature of relationship

Name of person	Nature of Relationship
Key Management Personnel:	
Anju Kewat	Director*
Shakuntla Kanvar	Director*
Hemlata Meena	Director*
Seema Bai	Director*
Kavita	Director*
Dinesh Chandra Choudhary	Director and Chief executive (w.e.f 28 December 2020)

* w.e.f date of incorporation i.e. 1 October 2020

B. The nature and volume of transactions during the period with the above related parties are as follows:

Name of related party	Nature of transaction	For the period ended 31 March, 2021
Dinesh Chandra Choudhary	Remuneration	529,373
Dinesh Chandra Choudhary	Reimbursement of expenses	49,333

C. Balance outstanding as at year end

**As at
March 31, 2021**
Rupees

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400RJ2020PTC071310
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

- 30** The disclosures as required under Accounting Standard AS-17 on Segment reporting are not required as the Company primarily deals in single business segment of trading of Milk and cattle feeds and operates in one geographical segment.
- 31** All assets and liabilities are presented as Current or Non-current as per criteria set out in Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the company, its operations and realization, the company has ascertained its operating cycle of less than 12 months. Accordingly 12 months period has been considered for the purpose of Current/ Non-current classification of assets and liabilities.
- 32** The Company has not meet the conditions of CSR rules, net worth, turnover and net profit hence the provisions of CSR not applicable to the Company.
- 33** The Company's business of dealing in milk and milk products has been considered as essential service. Hence, dairy industry in which the Company operates is among the businesses that are not significantly impacted consequent to disruption due to COVID-19. Therefore, the Company believes that thus far, there is no significant impact of COVID-19 pandemic on the financial position of the Company. Further, the Company is not expecting any significant change in estimates as of now as the company is running its business and operations as usual without any major disruptions.
- 34** The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits, during employment and post-employment benefits, has received the Presidential assent in September 2020. This Code has been published in the Gazette of India. However, the effective date from which the changes are applicable is yet to be notified and the rules for quantifying the financial impact are also yet to be issued. The Company will evaluate the impact of the Code and will give appropriate impact in the financial statements in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.
- 35** These financial statements have been prepared for the period 1 October 2020 (date of incorporation of the Company) to 31 March, 2021. This being first financial statements of the Company, there are no prior period comparatives.

For and on behalf of the Board of Directors
Ujalaa Milk Producer Company Limited

Anju Kewat
Director
DIN:08901495

Shakuntla Kanvar
Director
DIN:08901496

Dinesh Chandra Choudhary
Director
DIN:09011551

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआइएन: U01400RJ2020PTC071310

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, प्लॉट न. 110,111-ए, आर. के. पुरम, कला बादल

सामुदायिक भवन के पास, कोटा, राजस्थान- 324010

ई मेल: ujalaa.mpc@gmail.com

प्राप्ति रसीद

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--	--

मैं निवासी

..... उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्या हूँ। मैंने कम्पनी द्वारा भेजी गई दूसरी वार्षिक आम सभा की सूचना सभी अनुलग्नकों के साथ प्राप्त कर ली है।

सदस्या के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक:.....

स्थान:.....